केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/353 दिनांक: 01.09.2016

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00350
CICOM/R/2016/00950

अपीलकर्ता : श्री नवीन कुमार,
द्वारा – श्री किशोरी लाल, पादरी की हवेली,
रूस्तम पीर की गली, पटना सिटी,
पटना – 800008.

निर्णय की तारीख : 01.09.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	05.05.2016 (परन्तु आवेदक द्वारा दिनांक 01.07.2016 को स्व-अभिप्रमाणित)
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	20.07.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री वी. के. शर्मा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	12.08.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	165222/19.08.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	498/22.08.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम में तीन बिंदुओं पर सूचना मांगी थी जिसके प्रतिउत्तर में श्री वी. के. शर्मा, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-एस.बी. कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है । प्रस्तुत प्रथम अपील के माध्यम से अपीलकर्ता ने अभियोग लगाया है कि उन्हें *वांछित सूचना 60 दिनों के बाद यानी दिनांक 25.07.2016 को प्राप्त हुआ है* ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता का आर.टी.आई. के तहत मूल आवेदन जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में उपलब्ध है, उस आवेदन पर दिनांक 05.05.2016 टंकित है, परन्तु उसी पृष्ठ को आवेदक द्वारा दिनांक 01.07.2016 को स्व-अभिप्रमाणित भी किया गया है । इससे स्पष्ट होता है आवेदक का उक्त आर.टी.आई. आवेदन 01.07.2016 से पहले की तिथि की नहीं हो सकती । चूंकि उक्त आवेदन के संदर्भ में वांछित सूचना दिनांक 20.07.2016 को ही श्री वी. के. शर्मा, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-एस.बी. कार्यालय द्वारा प्रेषित कर दी गई है, अतः अपीलकर्ता द्वारा लगाया गया आरोप पूर्णतः आधारहीन है । श्री वी. के. शर्मा, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना सही है एवं अधोहस्ताक्षरी इससे पूर्णतः सहमत हैं ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

अचला सिन्हा

(अचला सिन्हा)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री वी.के.शर्मा, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त – एस.बी. कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।